न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 10/2024

अनवान : –

1. सुमित्रा देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी कमलेश कुमार जाति जाट साकिन वार्ड न0 12 नोहर तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. विधा देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

–असल गैरसायला

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

4. रामीदेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी राममूर्ती जाति जाट साकिन जोड़किया तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
5. सुखमा पुत्री सुरजाराम पत्नी कुलदीन जाति जाट साकिन नथोर तहसील राणिया जिला सिरसा।
6. सुनीता पुत्री सुरजाराम पत्नी जनकराज जाति जाट साकिन नथोर तहसील राणिया जिला सिरसा।

– तरतीबी गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **गैरसायल संख्या 1**

निर्णय दिनांकः 20/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 12 जेएनएन तहसील नोहर के खाता सं0 108/106 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता स0 109/107 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता स0 69/69 की कुल 14.6740 भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 412/372 की कुल 1.5180 एवं रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सायला व गैरसायल स0 1 व गैरसायल स0 4 ता 6 संयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है एवं गैरसायल न0 1 सायला व गैरसायल स0 4 ता 6 की माता है गैरसायल न0 1 कत्र हिन्दु

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खानदान होने के कारण अकेली के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज हो गयी है तथा उक्त वाद भूमि में से दो खातों की वाद भूमि हिन्दु परिवार की आय से खरीद कर अप्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज करवा दी थी तथा शेष खातों की वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम विरासतन दर्ज हुयी है। अतः वाद भूमि पैतृक जददी जायदाद है जिसमें सायला व गैरसायल संख्या 4 ता 6 का जन्म से ही अप्रार्थी स0 1 के साथ हक हिस्सा है। सायला उक्त वाद भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

उक्त वाद भूमि गैरसायल स0 1 के अकेली के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 बिना किसी आवश्यकता के वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल करना चाहती है। अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 12 जेएनएन तहसील नोहर के खाता सं0 108/106 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता स0 109/107 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता स0 69/69 की कुल 14.6740 भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 2 रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि में से 2 खातों की वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है तथा शेष भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम अपने पिता के फौत होने के बाद विरासतन प्राप्त हुयी है। उक्त वाद भूमि में सायला का कोई हक हिस्सा नही है प्रार्थना पत्र सायला को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित एवं पैतृक सम्पति होने के कारण सायला का भी उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है अप्रार्थी स0 1 अकेली के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज होने के कारण उक्त वाद भूमि को अप्रार्थी स0 1 रहन, बैय करना चाहती है। इसलिए ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी स0 1 द्वारा दो खातों की भूमि जरिये बैयनामा खरीद की है तथा शेष खातों की भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम अपने पिता की फौतदगी के बाद विरासतन दर्ज हुई है। प्रार्थना पत्र मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 12 जेएनएन तहसील नोहर के खाता सं0 108/106 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, खाता स0 109/107 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा 13 जेएसएन के खाता स0 69/69 की कुल 14.6740 भूमि में से 1/16 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 412/372 की कुल 1.5180 एवं रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रस्तुत बैयनामों की चित्रप्रति से साबित है कि उक्त वाद भूमि में से 2 खातों की वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है तथा शेष खातों की वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 को अपने पिता से प्राप्त होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.01.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/03/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर